डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स्था0 / 2026 / 2560

दिनांक: 10 अप्रैल, 2026

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः विश्वविद्यालय द्वारा संचालित छात्र कल्याण निधि के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के लिए छात्र कल्याण निधि की स्थापना की गयी है। उक्त निधि के अन्तर्गत परिवार का भरण–पोषण करने वाले माता / पिता में से किसी की आकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात उन छात्र / छात्राओं को इस निधि के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है। उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु छात्र / छात्रा विश्वविद्यालय की वेबवाइट पर Student Section में दिये गये छात्र कल्याण के लिंक के माध्यम से भरते हुए एवं अपने अभिलेखों को संस्थान के निदेशक से सत्यापित कराते हुए आवेदन को आनलाइन अग्रसारित कर सकता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को अपने स्तर से अवगत कराते हुए उक्त सूचना को संस्थान के सूचनापट पर भी चस्पा करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः स्टाफ आफिसर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव